

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय-समय पर संशोधित) प्रमावी आदेशों के तहत पंजीकृत फर्मों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई- प्रोक्यूरमेंट (ई-टेण्डरिंग) प्रक्रिया द्वारा आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रु. लाखों में)	धरोहर राशि रूपयों में		ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रु. में	निविदा शुल्क रु. में	कार्य पूर्ण करने की अवधि (अधिकतम)
			1%	1/2%			
1	2	3	4	5	6	7	8
पक्के खालों का निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार (समस्त सामग्री ठेकेदार की होगी)							
1	CHAK 12 TK	75.49	75490	37745	1000/-	1000/-	5 माह
2	CHAK 22 ML	60.53	60530	30265	1000/-	1000/-	5 माह
3	CHAK 6 TK	53.91	53910	26955	1000/-	1000/-	5 माह
4	CHAK 4 TK	41.15	41150	20575	500/-	1000/-	5 माह
5	CHAK 7 TK	59.30	59300	29650	1000/-	1000/-	5 माह
6	CHAK 14 EEA	42.57	42570	21285	500/-	1000/-	5 माह
7	CHAK 1 EEA-II	43.78	43780	21890	500/-	1000/-	5 माह
8	CHAK 8 EEA	55.23	55230	27615	1000/-	1000/-	5 माह
9	CHAK 2 PP	41.21	41210	20605	500/-	1000/-	5 माह
10	CHAK 1 PP	29.54	29540	14770	500/-	1000/-	5 माह
11	CHAK 65 NP	26.52	26520	13260	500/-	1000/-	5 माह
12	CHAK 29 ML-A	69.51	69510	34755	1000/-	1000/-	5 माह

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाइट <http://www.dipronline.org> एवं www.sppp.raj.nic.in तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 26.11.2020 प्रातः 11:00 बजे से 07.12.2020 तक सांय 4.00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 07.12.2020 सांय 4.00 बजे तक जमा /अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 08.12.2020 को सांय 04:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 या 5 में दर्शायी गई धरोहर राशि, कॉलम 6 में दर्शायी गई ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि एवं कॉलम 7 में दर्शायी गई निविदा शुल्क राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद एक ही चालान से ऑनलाइन जमा करवाना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि (आर.आई.एस.एल फीस) एवं निविदा शुल्क राशि रिफंड योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars. of Items	Budget Head	Amount in Rs.	Treasury Ganganagar		
			DDO Code	Division code	Office ID
Bid Security	8443-00-108-00-00	As per above table column 4 or 5	105556	608	9283
Bid Document Fees	0075-00-800-52-01	As per above table column no. 7	105556	608	9283
RISL Processing Fees	8658-00-102-(16)-[02]	As per above table column no. 6	105556	608	9283

- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 26.11.2020 प्रातः 11:00 बजे से 07.12.2020 सांय 04:00 बजे तक इस कार्यालय में देखा जा सकता है।
- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि ई-ग्रास द्वारा दिनांक 07.12.2020 को सांय 4.00 बजे से तक नियमानुसार ऑनलाइन अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-6 सि.क्षे.वि. सूरतगढ़ के पक्ष में जमा/मेल xencad6@gmail.com पर भेजा जाना आवश्यक है।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त समबन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थानित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।


- राज्य सरकार मे किसी भी अभियांत्रिकी विभाग मे किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजमात्र अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप मे कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक है।
 10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
 11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
 12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन मे वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
 13. कार्य पूर्ण करने की अवधि मे मानसून अवधि सम्मिलित है।
 14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइमिटेड पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
 15. मोर्टार एवं कंकरीट मिक्सिंग हेतु पावर मिक्सर का उपयोग अनिवार्य है।
 16. नाका शटर एवं फेम यदि विभाग के पास उपलब्ध होने पर उनका उपयोग अनिवार्य होगा। विभाग के पास उपलब्ध होने पर संवेदक को भुगतान नहीं होगा।
 17. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
 18. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 50.00 लाख तक 500/- रुपये व 50.00 लाख से अधिक 1000/- रु. की राशि प्रकिया शुल्क के रूप मे देय होंगी। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफार्सल बनाने के बाद एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवानी आवश्यक होगी।
 19. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
(अ) इन निविदाओं में रूचि लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते है।
(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
(स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट मे उपरोक्त वैबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म मे स्वीकार नहीं होगा।
(द) ऑनलाईन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
(य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।
(र) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
(ल) टेण्डर के प्रपत्रों मे आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
 20. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावेगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
 21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।


(अजय कुमार)
अधिसापी अभियन्ता,
गंगानहर ओ.एफ.डी. खण्ड-8
सि.क्षे.वि., सूरतगढ
दिनांक :- 24/11/2020

क्रमांक :- प.लेखा- /निविदा/ 867-890

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त, क्षेत्रीय विकास इंगानप., बीकानेर।
2. श्रीमान मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सीएडी बीकानेर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सीएडी वृत्त, , सिंक्षेवि. गंगनहर ओएफडी वृत्त, सिंक्षेवि. ओ.एफ.डी. वृत्त/ हनुमानगढ/ श्री गंगानगर/ बीकानेर।
4. श्रीमान अधिसापी अभियन्ता OFD Div-I Bikaner, Gang nahar OFD Div-I ShriVijaynagar, Gang nahar OFD Div-II Sriganganagar, Gang nahar OFD Div-III Suratgarh, Gang nahar OFD Div-V Shri Karanpur, Gang nahar OFD Div-VII Sriganganagar, SNIP Div-I Hanumangarh.
5. कोन्ट्रैक्टरस एसोसिएशन सा.नि.वि. कैम्पस श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर।
6. सहायक अभियन्ता गंगनहर ओएफडी उपखण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सीएडी (खण्ड 6) सूरतगढ
7. खण्डीय लेखाकार/व.प्रा./कैशियर खण्ड कार्यालय।
8. रक्षा पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


(अजय कुमार)
अधिसापी अभियन्ता,